वित्त निर्देश 31 / 2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 154/एफ–वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर, दिनांक : 19 जून, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :– आयोजनेत्तर मद् के अस्थाई पदों की निरंतरता तथा स्थायीकरण बाबत्।

संदर्भ :– वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 1025–ए/140/मह./सी/चार, दि. 31/5/99 एवं ज्ञापन क्र. 1533/1826/2000/सी/चार, दि. 19/07/2000

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा अस्थाई पदों की निरंतरता तथा स्थायीकरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रचलित व्यवस्था अंतर्गत **आयोजनेत्तर मद के ऐसे अस्थायी पद जो 3 वर्ष से अधिक अवधि से निरंतर चले आ रहे हैं एवं जिन्हें भविष्य में दीर्घकाल तक जारी रखना आवश्यक है, के विषय में 80 प्रतिशत तक पदों को वित्त विभाग की सहमति से स्थायी घोषित करने के अधिकार प्रशासकीय विभाग को प्राप्त है।** लेकिन विभागों द्वारा इन निर्देशों के तहत समुचित कार्यवाही अब तक नहीं की गयी है, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष इन पदों की निरन्तरता संबंधी नस्तियाँ बड़ी संख्या में वित्त विभाग को प्राप्त हो रही है। यदि इन पदों को स्थायी घोषित कर दिया जाए तो इस स्थिति से बचा जा सकेगा।

2. अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 तक प्रशासकीय विभाग उपरोक्तानुसार आयोजनेत्तर मद के अस्थायी पदों के स्थायीकरण के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें,** ताकि इन पदों को स्थायी घोषित करने बाबत कार्यवाही यथाशीघ्र की जा सके। इस विषय में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1–2/2012/1/3 दिनांक 18/04/2012 का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 195/एफ–वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर, दिनांक : 19 जून, 2013

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस–हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड–495220।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर।
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
12. राज्य सूचना आयुक्त; निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग